अध्यादेश संख्या – 25

अधिष्ठाताओं की समिति

[केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 28(1)(J)]

प्रस्तावना

1. विश्वविद्यालय सभी संकायों के अधिष्ठाताओं की एक समिति गठित करेगा जिसे संकाय अधिष्ठाताओं की समिति के नाम से जाना जाएगा।

संघटन

2. संकाय अधिष्ठाताओं की समिति में निम्नलिखित सदस्य मुख्यतः शामिल होंगे :

i. कुलपति – अध्यक्ष (पदेन सदस्य)

ii. अधिष्ठाता (शैक्षणिक मामले) (पदेन सदस्य)

iii. समस्त संकायों के अधिष्ठाता – सदस्य (पदेन सदस्य)

iv. कुलसचिव – सचिव सदस्य

ध्यातव्य : माननीय कुलपति की अनुपस्थिति में अधिष्ठाता (शैक्षणिक मामले) बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

प्रकार्य

3. अधिष्ठाताओं की समिति के निम्नलिखित प्रकार्य होंगे :

i. विश्वविद्यालय के संकायों/विभागों/अध्ययन केंद्रों के संचालन विषयक सामान्य शैक्षणिक मसलों पर विचार–विमर्श;

ii. परीक्षा के संचालन और परीक्षा परिणामों के मानकीकरण आदि को लेकर उठने वाले आवश्यक मसलों पर विचार–विमर्श;

iii. आवश्यकतानुसार संकायों/विभागों/अध्ययन केंद्रों के संचालन से जुड़े सामान्य प्रशासनिक मसलों पर विचार–विमर्श;

iv. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/संगोष्ठियों आदि के लिए संकाय सदस्यों की प्रतिनियुक्ति की संस्तुति;

v. अध्येतावृत्ति प्रदान के लिए अभ्यार्थियों का चयन;

vi. कुलपति द्वारा सुपुर्द या कार्य परिषद् द्वारा निर्दिष्ट किये गये मसलों पर विचार–विमर्श।

बैठक

4. अधिष्ठाताओं की समिति की बैठकें अध्यक्ष द्वारा बुलायी जाएंगी।

गणपूर्ति

5. समिति की गणपूर्ति (कोरम) समिति के कुल सदस्यों का एक तिहाई होगी।

कार्य व्यापार के नियम

6. समिति की बैठकों के संचालन विषयक नियम इस संदर्भ में बनाये गये विनियमों से निर्धारित होंगे।

ORDINANCE NO. 25

THE DEANS' COMMITTEE

(Section 28 (1) (j) of the Central Universities Act)

Preamble

1. The University shall constitute a Committee of Deans of all the Schools of Study of the University, to be known as the Deans' Committee.

Composition

2. The Deans' Committee shall comprise the following members, namely:

(i) The Vice-Chancellor - Chairperson *(Ex-Officio)*

(ii) Dean Academic Affairs (Ex-Officio)

(iii) All Deans of Schools of Studies- Members *(Ex-Officio)*

(iv) Registrar – *Member Secretary*

Note: In the absence of Hon’ble Vice-Chancellor, Dean Academic Affairs shall chair the meeting

Functions

3. The functions of Deans’ Committee shall be as follows:

(i) Consider general academic matter(s) related to the functioning of School(s)/ Department(s)/Centre(s) of Study of the University;

(ii) Consider such matter(s) as may be necessary arising from the conduct of examinations, standard of results, etc.;

(iii) Consider general administrative matters relating to functioning of School(s)/ Department(s)/ Centre(s) of Study, if required;

(iv) Recommend deputation of faculty member(s) for International Conferences/Seminar etc.;

(v) Selection of candidate(s) for award of fellowships; and

(vi) Consider such other matters as may be assigned to it by the Executive Council or may be referred by the Vice-Chancellor.

Meeting(s)

4. The meetings of the Deans’ Committee shall be convened by the Chairperson.

Quorum

5. The quorum of the Committee shall be 1/3rd of the total number of persons in the Committee.

Rules of Business

6. The rules of conduct of meetings shall be as may be prescribed by Regulations in this regard.